रजिस्ट्री सं० डी(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 507] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 16, 1974/अग्रहायण 25, 1896

No. 507] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 16, 1974/AGRAHAYANA 25, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 16th December 1974

S.O. 713(E).—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the death of Shri Govind Das, a member elected to that House from 22-Jabalpur Parliamentary Constituency in the State of Madhya Pradesh;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect before the 24 January, 1975, in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder, a person to fill the said vacancy.

[No. 100/MP-HP/1/74(1)]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1974

एस० ओ० 713(अ).—यतः, मध्य प्रदेश राज्य के 22–जबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री गोविन्द दास की मृत्यु हो जाने के कारण उस सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से एतद्द्वारा अपेक्षा करता है कि वह ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 24 जनवरी, 1975 से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/म० प्र०-लो० स०/1/74(1)]

S.O. 714(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the by-election to be held in 22-Jabalpur Parliamentary Constituency in the State of Madhya Pradesh in pursuance of its notification No. 100/MP-HP/1/74(1), dated 16 December, 1974.—

(a) 23 December, 1974 (Monday), as the last date for making nominations;

(b) 24 December, 1974 (Tuesday), as the date for scrutiny of nominations;

(c) 26 December, 1974 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) 19 January, 1975 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) 24 January, 1975 (Friday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/MP-HP/1/74(2)]

एस० ओ० 714(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/म० प्र०-लो० स०/1/74(1), तारीख 16 दिसम्बर, 1974 के अनुसरण में मध्य प्रदेश राज्य में के 22—जबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में:—

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख — 23 दिसम्बर, 1974 (सोमवार)

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख — 24 दिसम्बर, 1974 (मंगलवार)

(ग) अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख — 26 दिसम्बर, 1974 (बृहस्पतिवार)

(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा तथा — 19 जनवरी, 1975 (रविवार)

(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जायेगा। — 24 जनवरी, 1975 (शुक्रवार)

एतद्द्वारा नियत करता है।

[सं० 100/म०प्र०-लो०स०/1/74(2)]

S.O. 715(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 8.00 A.M. to 5.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the by-election to the House of the People from 22-Jabalpur Parliamentary Constituency to be held in pursuance of its notification No. 100/MP-HP/1/74(1), dated 16 December, 1974.

[No. 100/MP-HP/1/74(3)]

By order,

A. N. SEN, Secy.

एस० ओ० 715(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/म० प्र०-लो० स०/1/74(1), तारीख 16 दिसम्बर, 1974 के अनुसरण में 22-जबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले उप-निर्वाचन के लिए 8.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा ।

[सं० 100/म० प्र०-लो० स०/1/74(3)]

आदेश से,

ए० एन० सैन, सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974